

जिला- भोजपुर।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
अनुमण्डल व्यवहार न्यायालय, पीरो

T. S No.-152/2022

शमीम अहमद वादी
बनाम
निजाम अंसारी वगैरह प्रतिवादीगण

दिनांक:-10.03.2026

आज वादी की ओर से कोई पैरवी नहीं हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता का मौखिक कथन है कि वादी वर्तमान में हमारे सम्पर्क में नहीं हैं इस मुकदमा मे खारीज होने से हमे कोई आपत्ति नहीं हैं। आज प्रतिवादी सं0-01 एवं प्रतिवादी सं0-02 की ओर से पैरवी की गई हैं। अभिलेख अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में वादी विगत कई तिथियों से पैरवी करना छोड़ दिये हैं। वाद में अग्रिम कारवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है, विदित होता है वादी को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं रह गई हैं। अतः न्यायाहित में वादी का वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
अनुमण्डल व्यवहार न्यायालय
पीरो (भोजपुर)